अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म0प्र0)

क्रमांक/परीक्षा/2026/560 रीवा, दिनांक 02/06/2026

अधिसूचना

विश्वविद्यालय के समस्त सम्बद्ध महाविद्यालयों के नियमित स्नातक प्रथम एवं द्वितीय वर्ष वार्षिक पद्धति नियमित/एटीकेटी सत्र परीक्षा 2026 के आवेदन वेब पोर्टल **www.apsu.mponline.gov.in** के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि घोषित की जाती है।

सत्र	पाठ्यक्रम का नाम	वर्ष/सेमेस्टर	पाठ्यक्रम का प्रकार	आवेदन तिथि व शुल्क
NEP वार्षिक पद्धति परीक्षा 2026	स्नातक **Operation Management , In Banking Insurance Financial and Services, Law Lagistics**	प्रथम एवं द्वितीय 2026	स्नातक एन0ई0पी0 2026 नियमित/एटीकेटी	1.दिनांक 02.06.2026 से 11.06.2026 तक सामान्य शुल्क। 2. दिनांक 12.06.2026 से परीक्षा संचालित के एक दिवस पूर्व तक –1500/– विलम्ब शुल्क रूपये सहित।

विशेष नोट–

अतः महाविद्यालयीन प्राचार्य/संचालकों को निर्देशित किया जा रहा है कि स्नातक प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के समस्त छात्रों के प्रायोगिक, आन्तरिक मूल्यांकन का कार्य दिनांक 02.06.2026 से 11.06.2026 तक सम्पन्न कराकर एम.पी. ऑनलाईन पोर्टल पर उनके प्राप्तांक अनिवार्यतः फीड करावे एवं छात्रों द्वारा गृहीत विषय का सत्यापन कार्य भी किया जावें। महाविद्यालय द्वारा जिन छात्रों के अंकों की प्रविष्ट पोर्टल पर हो जावेगी उन्ही छात्रों के परीक्षा आवेदन भरने हेतु पोर्टल पर उपलब्ध होगे।

निर्देश–

1. प्राचार्य/अग्रेषणकर्ता अधिकारी अग्रेषित समस्त आवेदनों की सत्यापित प्रति परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व आवश्यक रूप से विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा कराए, उक्त के अभाव में प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जावेगा।
2. अग्रेषणकर्ता अधिकारी कृपया परीक्षार्थी द्वारा आवेदन के साथ जमा किये आवश्यक संलग्न अभिलेखों का भलीभांति परीक्षण कर लें। परीक्षा आवेदन पत्र पूर्ण रूपेण भरे होने, परीक्षा शुल्क जमा होने, विषय/प्रश्नपत्र सही होने एवं पात्रता सुनिश्चित होने पर ही आवेदन अग्रेषित करें। पात्रता न होने पर परीक्षा, आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व अग्रेषणकर्ता अधिकारी का होगा।
3. अग्रेषणकर्ता अधिकारी कृपया प्रवेश विनियमन का पालन करें प्रवेश पोर्टल की प्रवेश सूची एवं विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त कक्षा/विषयों के अनुसार ही परीक्षा आवेदन पत्र अग्रेषित करें।
4. प्राचार्य/परीक्षा केन्द्र अधीक्षक को निर्देशित किया जाता है कि विशेष परिस्थितियों में प्रथम प्रश्न–पत्र को छोड़कर शेष परीक्षा प्रवेश पत्र के साथ सम्पन्न कराया जाना सुनिश्चित करें।

आदेशानुसार,

सहायक कुलसचिव परीक्षा